

भारत सरकार  
जल शक्ति मंत्रालय  
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 1716  
जिसका उत्तर 05 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है।

.....

वाणिज्यिक और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए भूजल का निष्कर्षण

1716. डॉ. के. सुधाकर:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने पूरे कर्नाटक में वाणिज्यिक अथवा औद्योगिक प्रयोजनों के लिए भू-जल के अत्यधिक दोहन के संबंध में कोई अध्ययन कराया है और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;
- (ख) क्या यह सच है कि कर्नाटक की प्रमुख झीलों में मल-जल शोधन संयंत्र इन झीलों के जल की गुणवत्ता में सुधार लाने में प्रभावी नहीं हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;
- (ग) सरकार द्वारा देश भर में शहरी झील/आर्द्ध भूमियों को सुरक्षित रूप देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;
- (घ) मल-जल शोधन संयंत्रों द्वारा पेयजल हेतु उपलब्ध कराए जाने वाले जल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं;
- (ङ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने की संभावना है कि पेयजल के पुनः उपयोग से पीने के प्रयोजनार्थ जल की सुरक्षित और अच्छी गुणवत्ता सुनिश्चित हो; और
- (च) देश भर में इस संबंध में नियोजित परियोजनाओं का व्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

श्री राज भूषण चौधरी

(क): जल राज्य का विषय होने के कारण भूजल के निष्कर्षण के विनियमन सहित जल संसाधनों का सतत प्रबंधन मुख्यतः राज्यों की जिम्मेदारी है। हालांकि, देश की भूजल स्थिति पर निगरानी करने के लिए कर्नाटक सहित देश के सक्रिय भूमि जल संसाधनों का आकलन राज्य सरकारों के सहयोग से केन्द्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा वार्षिक रूप से किया जा रहा है। नवीनतम (2023) आकलन के अनुसार, कर्नाटक के लिए वार्षिक निष्कर्षण योग्य भूजल संसाधन 17.08 बीसीएम (बिलियन क्यूबिक मीटर) है। सभी प्रकार के उपयोगों के लिए वार्षिक भूजल निष्कर्षण 11.32 बीसीएम है, जिसमें से लगभग 0.13 बीसीएम (1%) का उपयोग औद्योगिक गतिविधियों के लिए किया गया है।

(ख): कर्नाटक के लघु सिंचाई विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार, बंगलौर जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड (बीडब्ल्यूएसएसबी) द्वारा उपचारित जल, जिसका टैंक भरने के लिए उपयोग किया जाता है, की गुणवत्ता के पहलू पर भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) और अन्य प्रतिष्ठित संगठनों द्वारा

अध्ययन और विश्लेषण किए गए हैं। जांच के परिणाम यथा निर्धारित सभी जल गुणवत्ता मानकों को पूरा कर रहे थे।

(ग): शहरी झीलों/आर्द्धभूमियों का सुधार मुख्यतः शहरी नगर निकायों और संबंधित राज्य सरकारों के अधिदेश में आता है। तथापि, केन्द्र सरकार ने अपनी ओर से एक राष्ट्रीय पर्यावरण नीति (एनईपी), 2006 तैयार की गई है जो पारिस्थितिकी तंत्र रखरखाव में आर्द्धभूमियों के महत्व को मान्यता देती है और सभी आर्द्धभूमियों के लिए एक विनियामक फ्रेमवर्क स्थापित करने की आवश्यकता पर बल देती है। इसके अनुरूप, आर्द्धभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 तैयार किए गए हैं जो प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में अपने क्षेत्राधिकार में आर्द्धभूमि के संरक्षण, विनियमन और प्रबंधन की देखरेख के लिए आर्द्धभूमि प्राधिकरण के गठन को निर्धारित करते हैं। इसके अतिरिक्त, अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र (एसएसी), अहमदाबाद ने देश में सभी आर्द्धभूमियों का मानचित्रण करते हुए एक राष्ट्रीय आर्द्धभूमि सूची एटलस तैयार की गई है।

इसके अलावा, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) और अमृत 2.0 जैसे विभिन्न राष्ट्रीय मिशनों के माध्यम से राज्यों के प्रयासों का अनुप्रकृत है। जल निकायों का संरक्षण अमृत 2.0 का एक प्रमुख घटक है। अब तक, 6,159.29 करोड़ रुपये की 3,078 जल निकाय संरक्षण परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है।

(घ) और (ड.): राष्ट्रीय जल नीति-2012 सामान्य मानक के रूप में जल के पुनर्चक्रण और पुनःउपयोग को अधिदेशित करती है और अपशिष्ट जल के पुनःउपयोग से पहले निर्दिष्ट मानकों के अनुसार उनके उपचार पर बल देती है। इसमें उद्योगों, कृषि एवं अन्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में शोधित जल के पुनःउपयोग को बढ़ाने के लिए समुचित रूप से नियोजित शुल्क-दर प्रणाली का प्रावधान है। इसमें उल्लेख किया गया है कि प्राथमिक उपचार के बाद, किसी मानव के संपर्क में न आते हुए, रसोई और बाथरूम के शहरी अपशिष्ट जल के पुनःउपयोग को शौचालयों में प्रयुक्त किए जाने को बढ़ाया जाना चाहिए।

इसके अलावा, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा उपचारित जल के सुरक्षित पुनःउपयोग पर एक राष्ट्रीय फ्रेमवर्क भी अपनाया गया है। यह फ्रेमवर्क राज्यों के लिए अपनी पुनःउपयोग जल नीति तैयार करने और समयबद्ध तरीके से इसे लागू करने के लिए एक मार्गदर्शी दस्तावेज होगा। इस फ्रेमवर्क में उपचारित अपशिष्ट जल का औद्योगिक, कृषि, नगर निगम आदि जैसे विभिन्न गैर-पेयजल के रूप में उपयोगों के लिए पुनःउपयोग करने की वकालत करता है।

(च): सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन क्षेत्र, अमृत के तहत, उसके मिशन घटकों में से एक है, जिसके तहत जुलाई 2024 तक 6,232 मिलियन लीटर प्रति दिन (एमएलडी) क्षमता की कुल सीवेज उपचार परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है और जिनमें से 4,174 एमएलडी सीवेज उपचार क्षमता सृजित की गई है और 1,437 एमएलडी क्षमता को पुनर्चक्रण/पुनःउपयोग के लिए विकसित किया गया है।

\*\*\*\*\*